



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 6, 1993/आश्विन 14, 1915  
No. 343] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1993/ASVINA 14, 1915

जन भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

गुडिपत्र

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1993

सा का नि 641(अ).—भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में पृष्ठ सं-1 पर भारत सरकार, जन भूतल परिवहन मंत्रालय, की दिनांक 21 वितम्बर 1992 की अधिसूचना सं 771(अ) के साथ प्रकाशित काष्ठला पत्तन कमजारी (वर्गीकरण नियंत्रण पत्र अधीन) सम्बंधित विनिर्देशनामिका, 1992 में

- (1) हिन्दी रूपान्तर से अधिसूचना अधीन के अंतर्गत, 21 अप्रैल, 1992 के लिए "21 वितम्बर, 1992" पठिए।
- (2) उक्त अधिसूचना के हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों रूपान्तरों में अनुसूची के नीचे दाहिनी ओर निम्नलिखित सामग्री अर्थात् "(स पी आर 12012/19/92-पी ई 1) अशोक आंशी, समुक्त सचिव, एटा की प्राप्ति और इसे अधिसूचना के नीचे दाहिनी ओर जोड़ा जाएगा।

[सा सं पी आर 12012/18/92-पी. ई-1]  
अशोक जोषा, समुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th October, 1993

G.S.R. 641(E).—In the Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 1992 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport G.S.R. No. 771(E), dated the 21st September, 1992 in the Gazette of India, Extra-ordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) at page No. 1

- (i) in the Hindi version under the heading अधिसूचना for the “21 अप्रैल, 1992”, read “21 सितम्बर, 1992”.
- (ii) in both the Hindi & English versions of the said notification, the matter i.e. “No. PR-12012/19/92-PE.I) Ashoke Joshi, Jt. Secy.” appearing below the Schedule on its right hand side end shall be omitted and it shall be added below the notification on the right hand side end.

[File No. PR-12012/18/92-PE.I]  
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.